सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 111/2017

उम्मेदी पुत्र किशन जाति बैरवा निवासी ग्राम रामगढ तहसील महवा जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.10.2017
व न्यायालय तहसीलदार महवा, दौसा

उपस्थित : 1.श्री रिद्धीचन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

दिनांक 26.12.17

निर्णय

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा,ने दिनाक 03.10.2017 को ग्राम रामगढ तहसील महवा, के आ0ख0 न0 248/2 रकबा 0.05 है0 किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांटस ने खसरा नंबर 248/2 रकबा 0.05 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके रामगढ पर संवत 2074 में खरीफ में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिचार किया है। अपीलांट को कोई पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गलत आधारों पर अपीलांट को राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दोष सिद्ध किया जाकर 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 03.10.2017 को पारित फरमाया गया। प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार के जुर्म की कोई साक्ष्य नही होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) का एक भी तत्व प्रमाणित नही होने के बावजूद भी अपीलांट को दोषी मान सजा दी गई। अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है उक्त भूमि वास्तविकता में अपीलांट साबिक खसरा नंबर 36 की खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट का बजमाने बुजुर्गान से कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलांट की भूमि को गै0 मु0 रास्ता में दर्ज कर दिया जिसके आधारा पर अपीलांट को किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना नही माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहुत ही आरबीट्रेरी व कैप्रिशियस है। अपीलांट ने किसी भी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है जिससे निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट की भूमि के पास गै0मु0 रास्ता की भूमि है, तो वे स्वयं सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है, उनको विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाकर प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती। पटवारी हल्का द्वारा रिकॉर्ड के अनुसार गै0मु0 रास्ता की भूमि होने पर ही अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई । गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं वरवक्त बहस पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अपीलांट द्वारा जो आपत्तियॉ इस न्यायालय के समक्ष उठाई गई है, उनके सबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में '' गै0मु0 रास्ता'' अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि गै0मु0 रास्ता है और अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया है। मौके की सीमाज्ञान के लिए अपीलांट स्वयं स्वतंत्र है और जब वे स्वयं आश्वस्त है कि उनका मकान आदि खातेदारी भूमि में है, तो उनको सीमाज्ञान स्वयं को ही करवाकर न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती । किंतु ऐसा नहीं कर उन्होंने न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये। अपीलांट अपनी बात कहने में असफल रहे है। कार्यवाही से बचने के लिए स्वयं की भूमि होना बता रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official